न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–76 / 2023 (जीसीएमएस नम्बर 2023 / 346)

01. सोमोती पत्नि हरला उर्फ हरलाल
02. बुद्धसिंह पुत्र हरला उर्फ हरलाल
03. मुंशी पुत्र हरलाल उर्फ हरलाल
04. शिवलाल पुत्र हरला उर्फ हरलाल
05. हीरालाल पुत्र हरला उर्फ हरलाल
06. किरोडी पुत्र हरला उर्फ हरलाल
07. बिरमा पुत्री हरला उर्फ हरलाल
08. रूपाली पुत्री हरला उर्फ हरलाल
09. रंगलाल पुत्र कन्हैया

समस्त जाति जोगी, निवासी ग्राम जोपाडा, तहसील दौसा जिला दौसा।

––अपीलान्ट

बनाम

01. भौरीलाल पुत्र कन्हैया
02. लटूर पुत्र कन्हैया
03. नाहरसिंह पुत्र रामजीलाल
04. केदार पुत्र रामजीलाल
05. जगदीश पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति जोगी निवासी ग्राम जोपाडा तहसील दौसा जिला दौसा।

06. श्रीमति केशन्ती पुत्री बिरदा पत्नि रमेश जाति जोगी निवासी ग्राम जौपाडा हाल निवासी भांवता तहसील बसवा जिला दौसा।
07. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री उमेश गौड, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 24.09.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 स्व0 रामजीलाल जिसकी मृत्यु अरसा 5 माह पूर्व हो गई थी, के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 107 दिनांक 16.10.2001 ग्राम जौपाडा तहसील दौसा के विरूद्ध अपील योग्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिस पर बाद सुनवाई योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार दौसा को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित फरमाकर इंसाफन एवं कानूनी गलती की है। नामान्तरकरण संख्या 107 कन्हैया पुत्र पांचू जाति जोगी, निवासी जौपाडा की मृत्यु के बाद उसके वारिस भौरीलाल, लटूर, रामजीलाल, हरला पिता कन्हैया, रामप्यारी बेवा कन्हैया के नाम तरदीक हुआ है जबकि प्रश्नगत निर्णय में बिरदा पुत्र पांचू जाति जोगी का दत्तक पुत्र हरला उर्फ हरलाल को बताकर कन्हैया पुत्र पांचू की विरासत को प्रश्नगत किया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 107 की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्रविष्ठियों को देखे बिना प्रश्नगत आदेश पारित कर तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। शीर्षक अपील में अपीलांट रामजीलाल की मृत्यु अर्रसा 5 माह पूर्व होकर उसके उत्तराधिकारीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 713 दिनांक 24.04.2023 को स्वीकृत फरमाया जा चुका है। नकल जमाबन्दी में नोट लग चुका है इस प्रकार मृतक पक्षकार रामजीलाल के पक्ष में पारित प्रश्नगत निर्णय अवैध एवं प्रभावशून्य है। प्रश्नगत निर्णय में प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम के 21 वर्ष की समय सीमा को माफ कर असाधारण आदेश पारित किया है। नामान्तरकरण की अपील के विरूद्ध 30 दिन की समय सीमा निर्धारित है। 21 वर्षों में जमाबंदी अंकन पांच बार परिवर्तित हुए है। पक्षकारगण को प्रश्नगत नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होना असंभव है। प्रश्नगत निर्णय अपील के 21 वर्ष बाद प्रस्तुत होने की असाधारण विलम्ब के कारण ही निरस्तनीय थी जिसे स्वीकार कर विधिक त्रुटि कारित की है। हरला उर्फ हरलाल, बिरदू पुत्र पांचू के हिस्से की भूमि उसके नाम उसकी अंतिम इच्छानुसार अंकित हुई है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने हरला उर्फ हरलाल जो कन्हैया का पुत्र है को बिना आधार दत्तक पुत्र मानकर पारित निर्णय खण्डनीय है। नामान्तरकरण में दत्तक का प्रश्न तय नहीं हो सकता है। अतः प्रश्नगत निर्णय अभिलेख के विपरीत निर्णित फरमाकर इंसाफन एवं तथ्यात्मक भूल की है। अतः निर्णय विचाराधीन अपील खण्डनीय है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 01.06.2023 तत्काल प्रभाव से निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट्स नं. 7 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु आदेश दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.06.2023 से अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 107 पर तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2001 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दौसा को इस आशय से रिमांड किया गया है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में एवं अपीलांटस द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं गोदनामा व हक त्याग को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय करने के आदेश पारित किये गये हैं। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। कोई अंतिम निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 विधि सम्मत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2023 को यथावत रखा जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।